

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद प्रकरण संख्या :- 76/2022

अनवान

- 1 अम्बालाल पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 2 कालूराम पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 3 गोरू पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 4 जगदीश पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 5 पुरुषोत्तम पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 6 बजरंग पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 7 जस्सू पत्नि स्व. हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा

—वादीगण

बनाम

- 1 बन्ना पिता रामनाथ कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- विजय पाराशरअधिवक्ता वादीगण
पेरोकार सरकार.....विपक्षी क्रम 02
अनुपस्थित- प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक 2.8.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एकें नियमित राजस्व वाद पत्र बाबत कब्जायाबी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया तहसील फूलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि वादीगण के सहखातेदारी अधिकारों में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। उक्त आराजियात भूभाग की सीमाओं पर सीमाचिन्ह स्थापित किए जाने/पत्थरगढी कराये जाने

बाबत वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 29/2019 से पंजीबद्ध हुआ होकर, कालान्तर अवधि में प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा की पत्थरगढी/नपती दिनांक 26.05.2022 को की गई। जहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार आराजी संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर सम्पूर्ण भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 01 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया है। जबकि प्रतिवादी का वर्णित आराजी भूभाग में कोई विधिक हक निहित नहीं है। महज कब्जा होने मात्र से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी के कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी में कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होने से वर्णित खसरा के भूभाग का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर सम्पूर्ण भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किए हुए अनाधिकृत कब्जे की बैदखली कर, भूभाग का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाये जाने आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 07.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादीगण पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादी संख्या 01 अम्बालाल पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया का शहादत में शपथ-पत्र प्रस्तुत कराया गया जिसे शामिल मिसल कर, लाल स्याही से पी.डब्ल्यू-01 के अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालू जमाबन्दी सवत् 2076-79, पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांकित 26.05.2022 पर क्रमशः प्रदर्श-01, 02 के अंकन किए गये।

पत्रावली में नियत हुए चरण में वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। न्यायालय द्वारा वादीगण पक्ष को सुनकर, दावों की समस्त कलमों एवं उनके समर्थन में प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया।



ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकला की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि वादीगण के सहखातेदारी अधिकारों में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। जो प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01 चालू जमाबन्दी से साबित हुआ है। राजस्व प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 29/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरान की पत्थरगढी/नपती दिनांक 26.05.2022 को सम्पादित हुई एवं जहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार आराजी संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर सम्पूर्ण भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 01 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया है। प्रदर्श दस्तावेज संख्या 02 मौका पर्चा दिनांकित 26.05.2022 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होना पाया गया है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि महज कब्जा होने मात्र से अचल सम्पत्ति पर किसी के मालिकाना हक उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। निसन्देह वादग्रस्त आराजियात के भूभाग पर प्रतिवादी का अनाधिकृत कब्जा साबित हुआ है, एवं अतिकर्मित भूभाग का स्वामित्व वादीगण के हिस्से में होना वादीगण पक्ष ने पूर्णतया सिद्ध किया है। पर्याप्त सबूत/दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण से ही इन तथ्यों में पारदर्शिता पाई गई है। इसी के फलस्वरूप वादीगण की वांछना के मुताबिक कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाना न्यायालय न्याय संगत मानता है।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर तथा प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात के विश्लेषण एवं परीक्षण पश्चात न्यायालय वादपत्र वादीगण को स्वीकार किये जाने योग्य मानता है। वादीगण पक्ष द्वारा दावे के माध्यम रखे गयी दलील/अभिवचन स्वीकृत किये जाते हैं।

∴ आदेश ∴

वाद-पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादीगण के सहखातेदारी अधिकारों में अभिलिखित वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फुलियाकला की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर के सम्पूर्ण भू-भाग की पुख्ता सीमा चिन्हों से पुनः नपती की जावें एवं नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक स्वामित्व के खसरारे पर प्रतिवादी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा



प्रतिवादी से वादीगण को सिपुर्द किया जावें। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार पालना करें।
खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज
दिनांक. २. ४. 2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर फुलियाकला
जिला शाहपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)
--:मूल वाद में अन्तिम डिक्री:-
(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद प्रकरण संख्या :- 76/2022

अनवान

- 1 अम्बालाल पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 2 कालूराम पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 3 गोरू पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 4 जगदीश पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 5 पुरुषोत्तम पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 6 बजरंग पिता हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 7 जस्सू पत्नि स्व. हीरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा

—वादीगण

बनाम

- 1 बन्ना पिता रामनाथ कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला-शाहपुरा
- 2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- विजय पाराशरअधिवक्ता वादीगण
पेरोकार सरकार.....विपक्षी क्रम 02
अनुपस्थित- प्रतिवादी संख्या 01


दिनांक 2.8.2024

वाद-पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है कि वादीगण के सहखातेदारी अधिकारों में अभिलिखित वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का क्षेत्र सांगरिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2806 रकबा 0.13 हैक्टर सम्पूर्ण भू-भाग की पुख्ता सीमा चिन्हों से पुनः नपती की जावें एवं नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक स्वामित्व के इस खसरे पर प्रतिवादी अथवा उनके






विधिक उत्तराधिकारीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को सिपुर्द किया जावें। डिक्री की पालना में तहसीलदार फुलियाकला को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक/हिस्से की भूमि का प्रतिवादी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बैदखल कर, कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किया जावें।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर फुलियाकला
जिला शाहपुरा

यह डिक्री आज दिनांक 2.8, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर फुलियाकला
जिला शाहपुरा